इस पृष्ठ पर

- भावी विवाह (Prospective Marriage) वीज़ा
  - वीज़ा के विस्तारण
  - पूर्व भावी विवाह (Prospective Marriage) वीज़ा धारक
- अस्थायी कार्यकर्ता (Temporary workers)
- वर्किंग हॉलिडे (Working Holiday) वीज़ा धारक
- आगंतुक (Visitors)
- वीएसी (VAC) रिफंड, छूट-पत्र और वीज़ा विस्तारण से संबंधित कार्यविधियों का सारांश

ऑस्ट्रेलिया के COVID-19 यात्रा प्रतिबंधों से प्रभावित कुछ वीज़ा धारक शीघ्र ही अपना वीज़ा आवेदन शुल्क (वीएसी) [Visa Application Charge (VAC)] वापिस प्राप्त करने या इसमें अपवाद प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

भावी विवाह (Prospective Marriage) वीज़ा

इन परिवर्तनों की घोषणा 6 अक्टूबर 2020 के दिन संघीय बजट 2020-21 के हिस्से के रूप में की गई थी और इन्हें उपवर्ग 300 भावी विवाह (Prospective Marriage) वीज़ा के उन वर्तमान और पूर्व धारकों को समर्थन देने के लिए अवरचित गया है जो COVID-19 यात्रा प्रतिबंधों के कारण ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने में असमर्थ रहे हैं।

वीज़ा के विस्तारण

10 दिसंबर 2020 के दिन विनियम बनाए गए हैं, जिनके तहत ऐसे भावी विवाह (Prospective Marriage) वीज़ा धारकों के लिए वैधता अवधि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई, जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं और जिनके पास 6 अक्टूबर 2020 और 10 दिसंबर 2020 के बीच किसी भी समय भावी विवाह (Prospective Marriage) वीज़ा था।

व्यक्ति-विशेष वीज़ा धारकों को विभाग द्वारा सीधे अधिसूचित किया जाएगा।

आप विभाग (Department) की वेबसाइट पर किसी भी समय अपने वर्तमान वीज़ा के विवरण और शर्तों की जाँच कर सकते/सकती हैं:

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online

यदि आपको अपने वीज़ा की वैधता अवधि के लिए विस्तारण मिला है लेकिन आपने इस वीज़ा के धारक के रूप में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा नहीं की है, तो आप अपने अदा किए गए वीज़ा आवेदन शुल्क (वीएसी) [Visa Application Charge (VAC)] के रिफंड के लिए निवेदन करने के पात्र हो सकते/सकती हैं।

इस समय हम वीएसी (VAC) रिफंड की प्रबंधन व्यवस्थाओं को अंतिम स्वरूप देने के लिए कार्य कर रहे हैं, और फरवरी 2021 के अंत तक रिफंड उपलब्ध होने की उम्मीद है।

पूर्व भावी विवाह (Prospective Marriage) वीज़ा धारक

यदि आपके भावी विवाह (Prospective marriage) वीज़ा की अवधि समाप्त हो गई है, और इसके समाप्त होने से पहले आप COVID-19 यात्रा प्रतिबंधों के कारण ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने में सक्षम नहीं थे/थी, और यदि 10 दिसंबर 2020 को बनाए गए विनियमों द्वारा वीज़ा का विस्तारण नहीं किया गया है, तो आप अपने वीएसी (VAC) के रिफंड के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं। फरवरी 2021 के अंतिम दिनों से रिफंड उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है।

इस समय हम वीएसी (VAC) रिफंड की प्रबंधन व्यवस्थाओं को अंतिम स्वरूप देने के लिए कार्य कर रहे हैं।

यदि आप दोबारा भावी विवाह या जीवनसाथी वीज़ा आवेदन जमा कर रहे/रही हैं, तो इनके प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक समय इस बात पर निर्भर होगा कि क्या आवेदन पूरा है और वीज़ा की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

अस्थायी कर्मचारी

यदि आपने प्रशांत श्रम योजना (Pacific Labour Scheme) या मौसमी कार्यकर्ता कार्यक्रम (Seasonal Worker Programme) में हिस्सा लिया था, तो आप अपने वीएसी का शुल्क वापसी प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं, बशर्ते:

- 20 मार्च 2020 से पहले आपका वीज़ा जारी किया गया था और,
- COVID-19 यात्रा प्रतिबंधों के कारण आप ऑस्ट्रेलिया आने में असमर्थ रहे थे/रही थीं।

यदि आपके लिए अस्थायी कुशलता-प्राप्त कार्यकर्ता (Temporary Skill Shortage) या अस्थायी कार्य (कुशलता-प्राप्त) [Temporary Work (Skilled)] वीज़ा जारी किया गया था, तो आपको भविष्य में वीज़ा के आवेदन के लिए वीएसी के शुल्क की माफी प्राप्त हो सकती है, बशर्ते:

- आप COVID-19 यात्रा प्रतिबंधों के कारण ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने में असमर्थ थे/थीं।
- आपने ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करके यहाँ से फिर प्रस्थान किया था, लेकिन अपने वीज़ा के समाप्त होने से पहले आप COVID-19 यात्रा प्रतिबंधों के कारण ऑस्ट्रेलिया वापिस आने में असमर्थ रहे थे/रही थीं।

वर्किंग हॉलिडे (Working Holiday) वीज़ाधारक

यदि आपके लिए वर्किंग हॉलिडे (Working Holiday) वीज़ा जारी किया गया है, तो आपको भविष्य में आवेदन के लिए वीएसी (VAC) में अपवाद मिल सकता है अथवा रिफंड प्राप्त हो सकता है। यदि आप यात्रा प्रतिबंधों के कारण ऑस्‍ट्रेलिया में प्रवेश करने में असमर्थ रहे थे/रही थीं या आपको COVID-19 के कारण समयपूर्व ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जाना पड़ा था, तो आपको भविष्य में फिर से आवेदन करने के लिए वीएसी (VAC) में छूट मिल सकती है।

यदि आप फिर से आवेदन करने के लिए इसलिए अयोग्य हैं क्योंकि आपकी आयु डब्ल्यूएचएम (WHM) वीज़ा के लिए नियत आयु-सीमा से अधिक हो गई है, तो आप इसके बदले रिफंड प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

आगंतुक (Visitors)

ऑस्ट्रेलिया के बाहर से आवेदन करने वाले ऐसे आगंतुक (Visitor) वीज़ा आवेदक, जिनके पिछले आगंतुक (Visitor) वीज़ा की समय-सीमा 20 मार्च 2020 और 31 दिसंबर 2021 के बीच समाप्त हो गई है, या समाप्त हो जाएगी, वे वीएसी (VAC) शुल्क के बिना आगंतुक (उपवर्ग 600) वीज़ा के लिए आवेदन करने में समर्थ होंगे। यह परिवर्तन 2021 के आरंभिक महीनों में प्रभावी हो जाएगा। जिन यात्रियों के पास वीज़ा है, उनके पास यात्रा करने से पहले ऑस्ट्रेलिया के यात्रा प्रतिबंधों से अपवाद भी होना चाहिए और इसके लिए उन्हें अपने वीज़ा आवेदन से अलग आवेदन करना होगा। यात्रा अपवाद के लिए आवेदन करें।

वीएसी (VAC) रिफंड, छूट-पत्र और वीज़ा विस्तारण से संबंधित कार्यविधियों का सारांश

वीज़ा श्रेणियाँ और उपवर्ग	दिशा-निर्देशों का विवरण
प्रशांत श्रम योजना (पीएलएस) [Pacific Labour Scheme (PLS)] या मौसमी कार्यकर्ता कार्यक्रम (एसडब्ल्यूपी) [Seasonal	**20 मार्च 2020 को सीमा बंद होने से पहले यात्रा करने में असमर्थ वीज़ा धारकों के लिए वीएसी (VAC)** रिफंड। वीज़ा समाप्त होने के बाद शुल्क वापस प्राप्त करने के लिए पात्र।

Worker Programme (SWP)] (उपवर्ग 403)	
अस्थायी कुशलता अभाव (Temporary Skill Shortage) वीज़ा या अस्थायी कार्य (कुशलता-प्राप्त) [Temporary Work (Skilled)] वीज़ा (उपवर्ग 482 या 457)	जिनके पास पहले एक टीएसएस (TSS) या उपवर्ग 457 वीज़ा था, लेकिन या तो वे COVID-19 यात्रा प्रतिबंध के कारण ऑस्ट्रेलिया आने में असमर्थ रहे थे या जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करके फिर यहाँ से प्रस्थान किया था, लेकिन उसके बाद अपने वीज़ा की समाप्ति से पहले वापिस नहीं आ पाए थे, उनके लिए वीएसी (VAC) की शुल्क माफी जिनके पास यात्रा प्रतिबंध के दौरान टीएसएस (TSS) या उपवर्ग 457 वीज़ा था और उन्हें ऑस्ट्रेलिया में फिर से प्रवेश करने के लिए नए वीज़ा की आवश्यकता है, उन्हें शुल्क माफी प्राप्य होगी।
वर्किंग हॉलिडे मेकर (डब्ल्यूएचएम) [Working Holiday Maker (WHM)] (उपवर्ग 462 और 417)	जो डब्ल्यूएचएम (WHM) वीज़ा धारक COVID-19 यात्रा प्रतिबंधों के कारण ऑस्ट्रेलिया आने में असमर्थ रहे थे या जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान कर लिया था, उनके लिए वीएसी (VAC) की शुल्क माफी। जो डब्ल्यूएचएम (WHM) वीज़ा धारक COVID-19 यात्रा प्रतिबंधों के कारण ऑस्ट्रेलिया आने में असमर्थ रहे थे या जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से समयपूर्व प्रस्थान कर लिया था; और वे शुल्क माफी के साथ फिर से आवेदन करने के लिए इसलिए अयोग्य हैं क्योंकि उनकी आयु प्रासंगिक आयु-सीमा से अधिक हो गई है, उनके लिए वीएसी (VAC) का रिफंड। पूर्व डब्ल्यूएचएम (WHM) वीज़ा धारक द्वारा प्रस्थान से पहले ऑस्ट्रेलिया में बिताए गए समय के लिए कोई अधिकतम अवधि की आवश्यकता नहीं। नए वीज़ा या रिफंड के लिए 2022 के समाप्त होने से पहले आवेदन किया जाना चाहिए।
आगंतुक (Visitor) (उपवर्ग 600)	ऑस्ट्रेलिया के बाहर स्थित ऐसे आगंतुक (Visitor) वीज़ा आवेदक, जिनके पिछले आगंतुक (Visitor) (उपवर्ग 600) वीज़ा की समय-सीमा मार्च 2020 और दिसंबर 2021 के बीच समाप्त हो गई है, या समाप्त हो जाएगी, वे वीएसी (VAC) शुल्क के बिना आगंतुक (Visitor) वीज़ा के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। यह परिवर्तन 2021 के आरंभिक महीनों में प्रभावी होगा।

	ऑस्ट्रेलिया के बाहर स्थित पात्र आगंतुक वीज़ा आवेदक 31 दिसंबर 2022 तक बिना किसी वीएसी (VAC) के पर्यटक (Tourist), व्यावसायिक आगंतुक (Business Visitor), प्रायोजित परिवार (Sponsored Family) या स्वीकृत गंतव्य पदस्थिति (Approved Destination Status) धाराओं में आगंतुक (Visitor) (उपवर्ग 600) वीज़ा के लिए आवेदन करने में सक्षम होंगे। इस प्रावधान में वर्तमान और पूर्व आगंतुक (Visitor) वीज़ा धारक शामिल हैं, जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने के लिए यात्रा करने में असमर्थ थे, या जिन्होंने प्रवेश करके प्रस्थान कर लिया था लेकिन फिर COVID-19 यात्रा प्रतिबंधों के प्रभाव के कारण बहुप्रवेशी वीज़ा (multiple entry) पर वापिस आने में असमर्थ थे।
भावी विवाह (Prospective Marriage) (उपवर्ग 300)	**जो प्रभावित वीज़ा धारक** COVID-19 यात्रा प्रतिबंधों के कारण अपने वीज़ा के समाप्त होने से पहले ऑस्ट्रेलिया आने में असमर्थ रहे थे या भविष्य में असमर्थ होंगे, उनके लिए वीएसी (VAC) का रिफंड **या** वीज़ा की वैधता अवधि का विस्तारण। फरवरी 2021 के अंतिम दिनों तक वीएसी (VAC) के रिफंड उपलब्ध किए जाने की उम्मीद है।